सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 484 राँची, शुक्रवार, 31 अक्टूबर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

9 सितम्बर, 2025

संख्या-5/आरोप-1-75/2019-32985 (HRMS)--श्री नीत निखिल सुरीन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-138/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लेस्लीगंज, पलामू के विरूद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-284, दिनांक 17.05.2019 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

आरोप पत्र में श्री सुरीन के विरूद्ध प्रखण्ड लेस्लीगंज के पीपराखुर्द पंचायत के ग्राम किरतो में राजेन्द्र दुबे के घर से हंसधरा सिवान तक ग्रेड-1 पथ निर्माण योजना में कुल 2,49,073/- रूपये की फर्जी निकासी करने, सरकार के महत्वकांक्षी योजनाओं में लापरवाही बरतने, स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता एवं मनमाने आचरण तथा सरकारी सेवक आचार संहिता के प्रतिकूल आचरण करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6336, दिनांक 06.08.2019 एवं स्मार पत्रों द्वारा श्री सुरीन से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री सुरीन के पत्रांक-27, दिनांक 18.03.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्री सुरीन के विरूद्ध गठित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-24028(HRMS), दिनांक 12.09.2023 द्वारा श्री सुरीन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-478, दिनांक 23.05.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया ।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य में अंकित किया गया कि प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्राप्त लिखित बचाव बयान एवं पूरक लिखित बचाव बयान की गहन समीक्षा से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी श्री सुरीन के विरूद्ध आरोप संख्या-1 प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि उनके द्वारा योजना के संचालन में भुगतान की प्रक्रिया का विधिवत अनुपालन किया गया है। चूँकि योजना का क्रियान्वयन आरोपी पदाधिकारी के पदभार त्याग के पश्चात भी किया गया है एवं योजना का अंतिम निरीक्षण एवं भुगतान भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है एवं प्राप्त जनसंवाद शिकायत वाद की कार्यवाही में बिना स्पष्टीकरण किये हुए आरोप तय किया गया, जो कि योजना में व्यय की गयी राशि के अनुरूप 9639.00 रूपये की अर्थदण्ड राशि के अधिरोपण एवं अन्य आरोप गठित करने के पूर्व किसी प्रकार की स्पष्टीकरण की माँग नहीं की गयी थी। जो कि नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है, जिसके कारण महत्वकांक्षी योजनाओं में लापरवाही बरतने, स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता एवं मनमाने आचरण तथा सरकारी सेवक आचार संहिता के प्रतिकूल गठित आरोप विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में प्रमाणित नहीं हो पया ।

श्री सुरीन के विरूद्ध आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा मापी पुस्त में दर्ज कार्य के अनुसार ही मनरेगा योजना में मजदूरी भुगतान पोस्ट आफिस के माध्यम से किया गया है तथा उसके उपरांत भी योजना कार्यान्वित रहा। श्री सुरीन के बाद पदस्थापित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा भी इस योजना में रूपये 261936/- भुगतान की कार्रवाई की गई है ।

अतः समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य से सहमत होते हुए

श्री नीत निखिल सुरीन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-138/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लेस्लीगंज, पलामू को आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री नीत निखिल सुरीन, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
	NEET NIKHIL SURIN 20080400115	श्री नीत निखिल सुरीन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-138/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लेस्लीगंज, पलामू को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 484 - 50